उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-3(नियुक्तियाँ)
संख्या-डी-1119/सात-न्याय-3-2021-24/2006
लखनऊ: दिनांक 26 अक्टूबर, 2021

विज्ञप्ति

नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का संख्यांक 53) की धारा-15 के अन्तर्गत बनाये गये नोटरी, 1956 (यथा संशोधित) के अधीन उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों/तहसीलों में निम्नलिखित सारणी के अनुसार नोटरी के रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु अर्हता रखने वाले विधि व्यवसायीगण/अधिवक्तागण से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं-

उत्तर प्रदेश में नोटरियों के रिक्त पदों का जनपद वार विवरण

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम		रिक्त पदों की संख्या
1	आगरा	1	आगरा	51
		2	मथुरा	30
		3	फिरोजाबाद	25
		4	मैनपुरी	25
2	अलीगढ	5	अलीगढ	52
		6	हाथरस	20
		7	एटा	22
		8	कासगंज	10
3	प्रयागराज	9	प्रयागराज	102
		10	फतेहपुर	20
		11	प्रतापगढ	25
		12	कौशाम्बी	21
4	आजमगढ	13	आजमगढ	58
		14	मऊ	20
		15	बलिया	25
5	बरेली	16	बरेली	45
		17	बदायूँ	25
		18	शाहजहाँपुर	25
		19	पीलिभीत	25
6	बस्ती	20	बस्ती	52
		21	सिद्धार्थनगर	25
		22	सन्त कबीर नगर	22
7	चित्रकूटधाम	23	चित्रकूट	25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

		24	महोबा	23
		25	हमीरपुर	25
		26	बॉदा	36
8	अयोध्या	27	अयोध्या	52
		28	अमेठी	28
		29	सुलतानपुर	36
		30	बाराबंकी	35
		31	अम्बेडकरनगर	25
9	देवीपाटन (गोण्डा)	32	गोण्डा	42
		33	बहराइच	30
		34	बलरामपुर	25
		35	श्रावस्ती	21
10	गोरखपुर	36	गोरखपुर	104
		37	महराजगंज	25
		38	देवरिया	25
		39	कुशीनगर	25
11	झॉसी	40	झॉसी	50
		41	जालौन	25
		42	ललितपुर	25
12	कानपुर	43	कानपुर नगर	52
		44	कानपुर देहात	25
		45	इटावा	25
		46	फर्रूखाबाद	25
		47	कन्नौज	25
		48	औरैया	21
13	लखनऊ	49	लखनऊ	138
		50	उन्नाव	25
		51	रायबरेली	25
		52	सीतापुर	25
		53	हरदोई	25
		54	लखीमपुर खीरी	40
14	मेरठ	55	मेरठ	82
		56	हापुड	21
		57	गाजियाबाद	57
		58	बुलंदशहर	25
		59	गौतमबुद्धनगर	57
		60	बागपत	23

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	मीरजापुर	61	मीरजापुर	34
		62	सोनभद्र	28
		63	संत रविदास नगर भदोही	21
16	मुरादाबाद	64	मुरादाबाद	52
		65	संभल	21
		66	रामपुर	25
		67	बिजनौर	25
		68	अमरोहा	25
17	सहारनपुर	69	सहारनपुर	52
		70	मुजफ्फरनगर	25
		71	शामली	20
18	वाराणसी	72	वाराणसी	102
		73	जौनपुर	25
		74	गाजीपुर	25
		75	चंदौली	25

2- नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं-

नोटरी नियम, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा, जब ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि पर-

(क)	व्यक्ति ने न्यूनतम 10 वर्षो तक विधि व्यवसाय किया हो, या
(क क)	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो से सम्बन्धित व्यक्ति ने न्यूनतम सात वर्षो तक विधि व्यवसाय किया हों, या
(क ख)	महिला, जिसने विधि व्यवसायी के रूप में न्यूनतम सात वर्षो तक विधि व्यवसाय किया हो, या
(क ग)	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (द) में यथापरिभाषित बेंचमार्क अक्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा हो।
(ख)	वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो, या
(ग)	वह न्यूनतम दस वर्षो तक- 1) न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो, या 2) अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात विधि की विशेष जानकारी रखने वाले केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारित किया हो, या 3) न्यायाधीश महाअधिवक्ता के विभाग में या आयुध बलों के विधिक विभाग में पद धारित किया हो।

3- नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नोटरी नियम, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-4(2) के अनुसार प्ररूप-1 के अनुपालन में नियम-3 के खण्ड (क), (क क), (क ख) और (क ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा और प्ररूप -2 के अनुपालन में खण्ड-(ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा आवेदन भरा जाएगा।

4- आवेदन-पत्र का प्रारूप न्याय विभाग की वेबसाइट http://;law.up.nic.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। नियत प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदनपत्र प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 10 नवम्बर, 2021 को सायं 5.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।

5- पात्र आवेदकों को उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ में आहूत साक्षात्कार हेतु नियत तिथि, समय व स्थान की सूचना आवेदन पत्र में उल्लिखित आवेदक की ई- मेल आई0डी0 पर दी जायेगी।

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।)
प्रमुख सचिव,न्याय एवं विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या -डी-1119(1)/ सात-न्याय-3-21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ कि आप सभी संबंधित बार एसोसियेशन/ मा0 न्यायालयों से संबंधित अर्ह विधि व्यवसायीगण/ अधिवक्तागण के मध्य इसे व्यापक रूप से प्रसारित करें:-

(1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(2) वरिष्ठ निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ।
(3) समस्त् जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0 ।
(4) सचिव,बार काउंसिल उ0प्र0।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार शुक्ला)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवेदन पत्र का प्ररूप-1

नियम-4(2)

1.	आवेद का नाम (हिन्दी में)-- (अंग्रेजी में)--	आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
2.	पिता/पति का नाम--	
3.	जन्म तिथि (अंको में) --- (शब्दो में) ---	
4.	क्या अ.जा. /अ.ज.जा/अ.पि.व./सामान्य वर्ग से है.......................................	
5	पता (निवास).. पिन... टेलीफन/मोबाइल...........................फैक्स..................ई- मेल............... पता (कार्यालय)... पिन.......................................आधार नंबर................................... पैन नंबर............................ टेलीफोन/ मोबाइल.................. फैक्स.......................ई- मेल.......	
6	शैक्षिक अर्हताएं (कृपया स्वंय सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	
7	विधिज्ञ परिषद की नामांकन संख्या और तारीख (कृपया स्वंय सत्यापित प्रति संलग्न करें)	
8	व्यवसायरत... सिविल... दांडिक... कर... राजस्व न्यायालय..	
9	क्या आयकर निर्धारिती है...	
10	आवेदक (आवेदक का स्पष्ट अक्षरों में नाम) घोषणा करता है कि .... 1. आवेदक नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन नोटरी के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र व्यक्ति है, 2. आवेदक अधिवक्ता के रूप में................... (यहां स्थानीय क्षेत्र और न्यायालय के नाम का कथन करें, जहां वह अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने का आशय रखता हैं) व्यवसाय करता है,	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवेदक, इसलिए प्रार्थना करता है कि सरकार नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन............................... (यहां उस स्थानीय क्षेत्र के नाम का वर्णन करें, जहां वह नोटरी के रूप में व्यवसाय करने की वांछा करता है) उसकी नियुक्ति करे और उसे नोटरी के रूप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात करे ।

तारीख..................

....

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: (1) साक्षात्कार के समय आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:-

(i) जन्म की तारीख से संबंधित सबूत, आधार और पैन कार्ड की प्रति (स्वंय सत्यापित)

(ii) स्नातक डिग्री की प्रति (स्वंय सत्यापित)

(iii) विधि डिग्री की प्रति (स्वंय सत्यापित)

(iv) संबंधित विधिज्ञ परिषद द्वारा जारी नामांकन प्रमाण पत्र की प्रति (स्वंय सत्यापित)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवेदन पत्र का प्ररूप-2

नियम-4(2)

1.	आवेद का नाम (हिन्दी में)--- (अंग्रेजी में)--	आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
2.	पिता/पति का नाम--	
3.	जन्म तिथि (अंको में) --- (शब्दो में) ---	
4.	क्या अ.जा. /अ.ज.जा/अ.पि.व./सामान्य वर्ग से है.......................................	
5	पता (निवास).. पिन... टेलीफन/मोबाइल......................फैक्स......................ई- मेल.................. पता (कार्यालय)... पिन.......................................आधार नंबर.................................... पैन नंबर............................ टेलीफोन/मोबाइल....................फैक्स.................. ई- मेल...................	
6	शैक्षिक अर्हताएं (कृपया स्वंय सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	
7	सरकारी सेवा में आने की तिथि...	
8	सेवानिवृत्ति की तिथि...	
9	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद...	
10	क्षेत्र के नाम का वर्णन करें, जहां वह नोटरी के रूप में व्यवसाय करने की वांछा करता है..............................	

तारीख...............

....

आवेदक के हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।